© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed & Peer Reviewed International Journal
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 02 | January - March 2023
SPECIAL EDITION: INTERNATIONAL CONFERENCE
Lala Hansraj Puthela College of Law Sirsa

मानव अधिकारों की स्थापना में शिक्षा की भूमिका

* Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, National College of Education, Sirsa
Email Id: vinodpilni@gmail.com, Mob. No.: 981262124
* Dr. Babita Rani, Assistant Professor, National College of Education, Sirsa

सारांश

"शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।"

नेल्सन मंडेला

भारतीय सभ्यता विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है जो अपने अंदर बहुत सारे उतार- चढ़ाव को समेटे हुए है। 5000 वर्ष के इतिहास वाले इस देश में, विभिन्न क्षेत्रो, भाषाओं, रीति- रिवाजों और सांस्कृतिक व्यवहार में विविधता, जाति, लिंग असमानता और वर्ग पर आधारित एक अनुक्रम के साथ तरह-तरह के धर्म और संप्रदाय वाले समाज में, यह आसान नहीं है कि इन सभी को समान महत्व दिया जाए, परन्तु इन सब को साथ ले कर चलने की जरूरत है, सभी मानव के समान विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर उन लोगो तक पहुँचाना, जिनका सम्पूर्ण जीवन के विकास का आधार की शिक्षा है। ठीक इसके विपरीत प्रतिदिन होने वाली अस्मरणीय हिंसा घटनाएं, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गोलीबारी, अचानक घरों व स्कूलों पर होने वाले आक्रमण, मानव शांति को लीर- लीर कर देते है। इस पर हम कह सकते ऐसे वातावरण में कोई कैसे जीवन जिए और कैसे अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य का सुनहरा सपना देख सकते है। यह हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए इस माहौल से बाहर निकलने के लिए शिक्षा ही समाज में मानवाधिकार को स्थापित कर सबको एक समान मानते हुए समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व के साथ सामाजिक न्याय को स्थापित करने की पूरी कोशिश करती है।

इस शोध पत्र में हमारा अनुसंधान का विषय मानव अधिकारों की स्थापना में शिक्षा की भूमिका के विभिन पहलुओं पर चर्चा करना है जिसमे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के द्वारा मानव अधिकारों के को हासिल करने के लिए समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व के साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहयोग करती है। शिक्षा व्यवस्था हो जो सामाजिक, आर्थिक, भागीदारी, विकास, स्वास्थ्य, अवसर की समानता को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकारों की स्थापना में अपना अहम सहयोग दे सके।

भूमिका मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार माना जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। मानव अधिकार सबके अर्थात स्त्री, पुरूष, बच्चे एवं वृद्ध लोगों के अधिकार है, और सब को समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग-भेद के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। मानव अधिकार, मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिये सदैव रही है।

मानव अधिकार का अर्थ व परिभाषा

मानव अधिकार शब्द हिन्दी का युग्म शब्द है जो दो शब्दो मानव + अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकारों से आशय मानव के अधिकार से है। मानव अधिकार शब्द को पूर्णत: समझने के पूर्व हमें अधिकार शब्द को समझना होगा - हैराल्ड लास्की के अनुसार, ''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म-विकास की

आशा नहीं कर सकता।'' वाइल्ड के अनुसार, ''कुछ विशेष कार्यो के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण माँग को अधिकार कहा जाता है।'' बोसांके के शब्दो में, ''अधिकार वह माँग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।'' अधिकार वे सुविधाएँ है जो व्यक्ति को जीने के लिए, उसके व्यक्तित्व को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परिधि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। **डी.डी. बसु का मत** है कि ''मानव अधिकार वे अधिकार है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव परिवार का सदस्य होने के कारण राज्य तथा अन्य लोक सेवक के विरूद्ध प्राप्त होने चाहिए।'' **प्लानों तथा ओल्टन** की परिभाषा सर्वाधिक संतुलित है, ''मानव अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है।'' सभी लेखकों का जोर मुख्यत: तीन बातों पर है, पहला मानव स्वभाव, दूसरा मानव गरिमा तथा तीसरा समाज का अस्तित्व।

मानव अधिकार के प्रकार: साधारणत: अधिकारों को दो मुख्य मार्गो में विभाजित किया जाता है - (अ) नैतिक अधिकार, (ब) कानूनी अधिकार। आधुनिक समय में अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। मानव अधिकारों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त अथवा वगीकृत किया जाता है: 1. प्राकृतिक अधिकार 2. नैतिक अधिकार 3. कानूनी अधिकार 4. नागरिक अधिकार 5. मौलिक अधिकार 6. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

प्राकृतिक अधिकार: मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। यह अधिकार उसे प्रकृति से प्राप्त होते है। प्रकृति से प्राप्त होने के कारण ये स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव मे निहित होते है। जैसे जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का अधिकार।

नैतिक अधिकार: नैतिक अधिकारों का स्त्रोत समाज का विवेक है। नैतिक अधिकार वे अधिकार है जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नही होते, अत: इनका मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। नैतिक अधिकारों को धर्मशास्त्र तथा जनता की आत्मिक चेतना के दबाव में स्वीकार करवाया जाता है।

कानूनी अधिकार: कानूनी अधिकार वे होते है, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा कानून के अनुसार की जाती है और जिनका उल्लंघन राज्य द्वारा दण्डनीय होता है। यह अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किये जाते है। सामाजिक जीवन का विकास होने के साथ-साथ इन अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

नागरिक अधिकार: नागरिक और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते है जो मानव को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते है। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश के शासन प्रबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेता है। उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं मे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का विशिष्ट महत्व है।

मौलिक अधिकार: आधुनिक समय में प्रत्येक सभ्य राज्य संविधान बनाते समय उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान करते है। जनतंत्र में व्यक्ति का महत्व होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से स्वतंत्रता का दायरा स्पष्ट होता है तथा राजनीतिक मतभेदों से इन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए इन अधिकारो को अपरिहार्य माना गया है।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। समाज का भाग होने के कारण वह कई आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का सदस्य भी होता है ओर उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। मानव अधिकारों के वर्गीकरण की यह फेहरिस्त बडी लंबी है। समय के साथ-साथ यह फेहरिस्त बढ़ती भी जा रही है। मानव अधिकारों में कौन से अधिकार महत्वपूर्ण है, कौन से कम महत्व के है, इसका निर्धारण करना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। मानव अधिकारों के संबंध में वैश्विक घोषणा के बाद मानव अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ''मानव जीवन के समग्र विकास के लिए सभी अधिकारों की सुरक्षा एवं क्रियान्वयन अनिवार्य है।''

मानव अधिकार के सिद्धांत: मानव अधिकारों के बारे में और गहरी समझ विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि इस विषय पर उपलब्ध राजनीतिक सिद्धांतों का खुलासा किया जाए। इस संदर्भ में कई सिद्धांत है।

प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत: यह अधिकारों के सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है इसलिए स्वत: प्रामाणिक सत्य है। यह इस बात पर भी बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना के पहले से ही मानव के साथ रह रहे है या मानव उनका उपभोग करता रहा है। लॉक इस सिद्धांत का अधिकारी प्रवर्तक था। इस सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार, अधिकार भाववाचक नहीं होता है। यह केवल व्यक्तिगत भी नहीं होता है। अधिकार समाज में ही पैदा ओर लागू हो सकता है।

अधिकारों का कानूनी सिद्धांत: यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार, मानव अधिकार राज्य के कानूनी शक्ति द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। थॉमस हॉब्स और बेंथम तथा ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को विकसित किया। इसमें परम्पराएँ, नैतिकता एवं प्रथाएँ आदि भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

गैर उपयोगितावादी सिद्धांत: द्वार्वाकिन नाजिक और जॉनराल्स इस सिद्धात के प्रवर्तक है। इस विचार पद्धति के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सम भाव जरूरी है।

विधिक यथार्थवादी सिद्धांत: यह एक समकालीन विचार माला है। यह मूलत: अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 'न्यू डील पॉलिसी' के दौरान उद्‌भुत हुआ था। यह सिद्धांत मानव अधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है।

मार्क्सवादी सिद्धांत: मार्क्स के अनुसार, अधिकार वास्तव मे बुर्जुवा (पूँजीपति) समाज की अवधारणा है जो शासक वर्ग को और मजबूत बनाती है। राज्य स्वयं में एक शोषणपरक संस्था है, अतएव पूँजीवादी समाज एवं राज्य में अधिकार वर्गीय अधिकार है। मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि मानव अधिकार एक वर्गहीन समाज में पैदा और जीवित रह सकता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार इस सिद्धांत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय सविधान और मौलिक अधिकार:

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तिगत विकास के मौलिक अधिकार प्रदान करता है**,** मूल संविधान में के भाग तीन में सात मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। जिसमे सम्पति का अधिकार भी शामिल था। जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा और समानता प्रदान करने के लिए निर्मित किए गए हैं। मूल अधिकार नागरिकों को उच्चतम स्वभाव, सर्वोत्तम न्याय और गरिमा के साथ नागरिकता प्रदान करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ मानव अधिकारों की भी रक्षा करते हैं और उनके उल्लंघन किए जाने पर संरक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय सविधान में छः मौलिक अधिकार हैं; जो इस प्रकार है

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के को दो पहलू है फिर भी इस सिद्धांत ने इस धारणा को महत्व प्रदान किया कि मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। इस आयोग ने देश में आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के मानवाधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये समय-समय पर अपनी सिफ़ारिशें सरकार तक पहुँचाई हैं और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किये हैं।

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति: देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत

में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। प्रतिदिन होने वाले सांप्रदायिक दंगे में किसी एक धर्म, जाति, लिग़, सम्प्रदाय के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है बल्कि उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होते हैं जो इस घटना के शिकार होते हैं तथा जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता जैसे- मासूम बच्चे, गरीब पुरुष-महिलाएँ, वृद्धजन इत्यादि। उदाहरण के तौर पर बिना वारंट किसी के घर की तलाशी लेना, किसी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि ख़बरें अक्सर अखबारों में रहती थीं। लिहाज़ा यहाँ सवाल उठता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल-पल किसी-न-किसी तरह की प्रताड़ना को झेल रहे है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन-सी चुनौतियाँ हैं जिनके कारण मानवाधिकारों की रक्षा कर पाना मुश्किल हो रहा है।

भारतीय सविधान और शिक्षा: भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था। भारत के मूल संविधान में शिक्षा केंद्र सूची का विषय रहा परंतु 42 सवैधानिक संशोधन के द्वारा सन1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा व्यवस्था के लिए कानून बना सकते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क को जोड़कर प्रारम्भिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया। इस के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 21-ए और आरटीई अधिनियम (निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) 01 अप्रैल 2010 को लागु किया गया। मौलिक अधिकार के अलावा भी भारतीय सविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। जिसमे यह कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक जरूर स्कूल भेजें। इस प्रकार भारतीय सविधान में मानव उत्थान के लिए शिक्षा के उपर बहुत बल दिया गया है।

शिक्षा की मानव अधिकार में भूमिका: संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल हैं शिक्षा का उदेश्य यह है कि विद्यार्थी समाज में परिवर्तन लाने तथा समाज को साथ लेकर चलने की योग्यता विकसित करें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सके। मानव अधिकारों के लिए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व के साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहयोग करना है। लोगों को अपने स्वयं के जीवन और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षा प्रदान करना है । शिक्षा व्यवस्था मानव अधिकारों को हासिल करने के लिए हो जो सामाजिक, आर्थिक, भागीदारी, विकास, स्वास्थ्य, अवसर की समानता को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकारों की स्थापना में अहम सहयोग दे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Gonsalves Lina (2001). A Women and Human Right, APH Publishing co., New Delhi.
2. Gupta U.N. (2004). A the Human Rights, Atlantic Publishing, New Delhi.
3. Jayapalan N. (2006). Women & Human Rights, Discomvery Public House, New Delhi.
4. सुभाष शर्मा (2016). भारत में मानव अधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली.
5. डॉ. मंजुलता छिल्लर (2010). भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम-अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली.
6. प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी (2008). भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
7. आशा कौशिक (2004). मानवाधिकार और राज्यः बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिर्शस, जयपुर.
8. रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा (2010). भारतीय समाज में नारी- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली.